International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.15
IJSSER 2024; 6(2): 313-315
www.socialsciencejournals.net
Received: 01-07-2024
Accepted: 28-07-2024

सतेन्द्र कुमार
शोधार्थी, जे. एस. विश्वविद्यालय
शिकोहाबाद, उत्तर-प्रदेश, भारत

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
शोध निर्देशक, जे. एस. विश्वविद्यालय
शिकोहाबाद, उत्तर-प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
सतेन्द्र कुमार
शोधार्थी, जे. एस. विश्वविद्यालय
शिकोहाबाद, उत्तर-प्रदेश, भारत

क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 का गुर्जर जाति की राजनीतिक चेतना पर प्रभाव

सतेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार

DOI: https://doi.org/10.33545/26649845.2024.v6.i2d.431

सारांश
यह शोध पत्र क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और गुर्जर जाति की राजनीतिक चेतना पर उसके प्रभाव को गहरे रूप से समझने का प्रयास करता है, और गुर्जर जाति के संघर्षों और उनके विकास के रास्ते को प्रस्तुत करता है।साथ ही क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871के प्रभाव के कारन इस जाति के लोगों द्वारा कौन कौन से संघर्षो का सामना करना पड़ा और कैसे गुर्जर जाति एक संघर्षशील जाति के रूप में उभरकर भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुई।

कुटशब्द: क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, राजनीतिक चेतना, अभ्युदय, उत्कर्ष

प्रस्तावना

ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में कई सामाजिक और कानूनी बदलाव किए, जिसका भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों, वर्गों व समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन बदलाओं में से एक महत्वपूर्ण बदलाव कानून बनाने का रहा जिस में एक महत्वपूर्ण कानून "क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871" रहा था। 1871 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू किये गए इस कानून ने भारत में कई जातियों और खासकर जनजातियों पर एक कड़ा प्रतिबन्ध लगाया था। जिसमें कि इस कानून के द्वारा उन समस्त जातियों और जनजातियों को अपराधिक घोषित करना था, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी कड़ी निगरानी में रखा था जो कि विभिन्न गतिविधियों में संदिग्ध मणि जाती रही।उन जाति विशेष के तहत गुर्जर जाति जैसी कई जातियों को भी उसी अपराधी श्रेणी में चिह्नित किया गया था। जबकि गुर्जर जाति, ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज में एक प्राचीन और प्रभावशाली वर्ग में रही है, ।इस कानून ने न केवल गुर्जर जाति की सामाजिक स्थिति को गम्भीर रूप से प्रभावित किया अपितु उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव डाला, लिकिन इसके परिणामस्वरूप भी जर्जर जाति की राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने अपनी राजनीतिक सहभागिता को बढ़ने का प्रयास किया।

इस शोध पत्र का उद्देश्य क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 के लागू होने के बाद गुर्जर जाति की राजनीतिक चेतना, और उसमे सहभागिता, को किस प्रकार प्रभावित किया गया। शोधार्थी यह भी जानने का प्रयास करेगा कि कैसे इस प्रभाव ने गुर्जर जाति की राजनीतिक चेतना को जागृत करने के साथ साथ इसके खिलाफ संघर्ष किया, और किस प्रकार यह संघर्ष भारतीय समाज में उनके स्थान को मजबूत करने में सहायक बना।

क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 का सामान्य परिचय

आपराधिक जन-जाति अधिनियम-1871 का इतिहास में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉर्ज मैक्मुन ने अपनी किताब 'द अंडरवर्ल्ड ऑफ इंडिया' में लिखा- "वे एकदम मैले-कुचैले, समाज की गन्दगी और किसी खेत में घास चर रहे पशुओं के समान हैं"। दरअसल, मैक्मुन अपनी किताब में जिन लोगों को संबोधित कर रहा था, ये वो लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात 'आपराधिक जनजाति अधिनियम-1871 के जरिये 'आपराधिक जनजाति' घोषित कर दिया था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में लागू किया था। इसके तहत, ब्रिटिश शासन ने उन जातियों और जनजातियों को "आपराधिक" घोषित कर दिया था जिनके बारे में ब्रिटिश प्रशासन का मानना था कि वे अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं।इस क़ानून के अंतर्गत, इन जातियों को पुलिस निगरानी में रखते हुए उनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए। उन प्रतिबंधों में विशेष रूप से, स्थानांतरण, रोजगार, और अन्य गतिविधियों में कड़ी निगरानी के अधीन रखना आदि रहा है।

गुर्जर जाति, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, व्यापार और सैन्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, भी इस क़ानून के प्रभाव ने अपनी को भी अपनी गिरफ्त में लिया।

जिसके परिणामस्वरूप गुर्जर जाति के लोग अपनी जातीय पहचान, अधिकार और स्वायत्तता के लिए संघर्ष करने लगे। 1871 में बने इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किये गए और धीरे-धीरे लगभग 150 से भी अधिक जनजातियों को इसके तहत अपराधी घोषित कर दिया गया। जिसमें गुर्जर समाज की कई उपजातिया शामिल थी जो कि "क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871" के वक्त बिखर चुकी थी। इस अधिनियम के तहत सैकड़ों हिंदू समुदायों को लाया गया था, और औपनिवेशिक सरकार ने 1931 तक मद्रास प्रेसीडेंसी में इस अधिनियम के तहत लगभग 237 जातियों और जनजातियों को इस आपराधिक श्रेणी सूचीबद्ध किया।इस अधिनियम का स्वतंत्रता के बाद सुधार हेतु जनवरी 1947 में बंबई सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसमें बीजी खेर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई और गुलजारीलाल नंदा को 'आपराधिक जनजातियों' के मामले को देखने के लिए शामिल किया गया था। जिसमें समिति के सुझाओं के प्रभाव ने अगस्त 1949 में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अंतिम निरसन को गति प्रदान की, और परिणामस्वरूप लगभग 23 लाख जन जातियों को गैर-अपराधी बना दिया गया।

मुथुरामलिंगम तेवर ने 1929 से गांवों में कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था, जिसमें लोगों से 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम की अवहेलना करने का आग्रह किया गया था। जिससे, 1871 के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कम हो गई थी। इस कानून के अस्तित्व की उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उसी वर्ष समिति नियुक्त की गई थी, जिसमें 1950 में रिपोर्ट दी गई थी कि इस प्रणाली ने भारतीय संविधान की भावना का उल्लंघन किया है।स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त इस विषय पर कई आयोगों एवं समितियों की स्थापना की गई, लेकिन इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है अयंगर समिति, जिसकी सिफारिशों के पश्चात 1952 में 'क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को निरस्त कर दिया गया।

क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 का गुर्जर जाति की राजनीतिक चेतना के विकास व संघर्ष पर प्रभाव

गुर्जर जाति का ऐतिहासिक संदर्भ भारतीय समाज में काफी गहरा और विविधतापूर्ण रहा है। गुर्जर समुदाय मुख्यतः राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में बसा हुआ था। इस जाति के लोग पारंपरिक रूप से कृषक और सैनिक वर्ग से जुड़े थे।गुर्जर जाति के लोग भारतीय इतिहास में कई युद्धों और संघर्षों में सक्रिय रूप से शामिल रहे थे, और वे विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों के लिए महत्वपूर्ण सैन्य सेवाएँ प्रदान करते थे। ब्रिटिश शासन के आने से पहले, गुर्जर जाति की सामाजिक स्थिति मजबूत थी, और वे भारतीय समाज में सम्मानित वर्ग माने जाते थे। लेकिन जब क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू हुआ, तो गुर्जर जाति को "आपराधिक" घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और सम्मान में गिरावट आई। यह क़ानून उनके लिए एक प्रकार की उत्पीड़न का रूप बन गया, जिसने उन्हें न केवल सामाजिक दृष्टि से अपमानित किया, बल्कि राजनीतिक रूप से भी कमजोर किया।

क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ने गुर्जर जाति को न केवल सामाजिक रूप से अपमानित किया, बल्कि उन्हें मानसिक और राजनीतिक रूप से भी संघर्ष में डाल दिया। जब एक जाति को "आपराधिक" घोषित किया जाता है, तो वह जाति महसूस करती है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, और उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसी भेदभाव को महसूस करने एवं उत्पीड़न के कारण गुर्जर समुदाय ने धीरे-धीरे अपने उत्पीड़न का विरोध किया और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, जिससे उनके भीतर एक नई राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह क़ानून उनके खिलाफ एक गहरी साजिश है, और उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना शुरू किया। यह क़ानून उनके भीतर सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार की समझ को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ।

क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 ने गुर्जर जाति की राजनीतिक चेतना में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इस क़ानून ने उनके भीतर उत्पीड़न और असमानता का अहसास कराया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। कुछ विकास व संघर्ष निम्नवत है-

1. प्रतिरोध और संघर्ष

गुर्जर जाति ने इस काले क़ानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और संघर्षों की शुरुआत की। यह विरोध केवल उनके सामाजिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए एवं उनके उत्पीड़न के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह उनके अधिकारों की रक्षा और पहचान के लिए भी था। वे धीरे-धीरे राजनीतिक संगठनों में शामिल होने लगे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करने लगे। अपने विरोध करने के साहस से वे धीरे-धीरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भागीदार बने और परिणामस्वरूप उनके भीतर एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने यह समझा कि केवल एकजुट होकर ही वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

2. स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

गुर्जर जाति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा किये गए संघर्षों से उनमे भारतीयता की और राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास इस स्तर पर हो गया था कि वे न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि भारतीय समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई में शामिल हुए।उनके विरोध और संघर्षों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक गति दी। जिससे भारतीय राजनीति में उनका स्थान मजबूत हुआ।

3. संविधान निर्माण में योगदान

आजादी के बाद, गुर्जर जाति ने भारतीय संविधान निर्माण में भी योगदान देकर अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग की ताकि राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। इस हेतु उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में संघर्ष किया और उन्हें प्रेरित किया।

आज़ादी के बाद गुर्जर जाति की राजनीतिक सहभागिता का अभ्युदय और उत्कर्ष

गुर्जर जाति के राजनीतिक संघर्षों का प्रभाव आज़ादी के बाद भी देखा जा सकता है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया।आज़ादी के बाद, गुर्जर जाति ने कई राजनीतिक दलों में अपनी भागीदारी बढ़ाई, खासकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (BJP), और अन्य क्षेत्रीय दलों में। गुर्जर जाति ने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए कई आंदोलन किए, जैसे कि आरक्षण की मांग और जातीय पहचान को लेकर संघर्ष।इन्होने अपने राजनीतिक संघर्ष को और अधिक संगठित कर 20वीं शताबदी के मध्य में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। उन्हें यह महसूस हुआ कि केवल आरक्षण ही उन्हें शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समान अधिकार दिला सकता है। यह आंदोलन भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए दिए गए अधिकारों से प्रेरित था। गुर्जर जाति ने आरक्षण की मांग करते हुए सरकार से अपने अधिकारों की सुरक्षा की बात की।

परिणामस्वरूप आधुनिक भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कई विशेष प्रावधान किए हैं, जिनका उद्देश्य इन समुदायों को समाज में समान अधिकार प्रदान करना रहा। गुर्जर जाति ने संविधान में दिए गए इन अधिकारों का लाभ उठाया और आज भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन कर कई राज्यों में राज्यसभा, लोकसभा, और राज्य विधानसभाओं में सक्रिय रूप से अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की है।

निष्कर्ष

क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 ने भारत की गुर्जर जाति की राजनीतिक चेतना पर गहरा प्रभाव डाला। जिससे न केवल उनकी सामाजिक स्थिति प्रभावित हुई, बल्कि उनकी राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि हुई। इस क़ानून ने उनकी सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुँचाया, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक नई राजनीतिक जागरूकता का जन्म भी हुआ। इस क़ानून ने उन्हें एक उत्पीड़ित व शोषित वर्ग बना दिया, लेकिन उसी उत्पीड़न ने उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का मार्ग प्रशस्त किया। गुर्जर जाति ने समय के साथ इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता संग्राम तथा आधुनिक भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके संघर्ष ने न केवल उनके सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि उनके राजनीतिक उत्थान और उत्कर्ष का मार्ग भी प्रशस्त किया।

वर्तमान समय में, गुर्जर जाति भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली राजनीतिक समुदाय के रूप में उभरी है। उनकी भागीदारी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि उत्पीड़न और भेदभाव के बावजूद, यदि एक समुदाय अपनी राजनीतिक चेतना को जागृत करता है, तो वह समाज में अपने अधिकारों और सम्मान की प्राप्ति कर सकता है।

संदर्भ सूची

1. अजय वर्मा, *क्रिमिनल ट्राइब एक्ट-1871 का प्रभाव*, पृष्ठ 45-75
2. अभिजीत कुमार, *गुर्जर जाति और भारतीय राजनीति*, पृष्ठ 122-138
3. अरविंद यादव, *गुर्जर जाति और आरक्षण का मुद्दा*, पृष्ठ 135-150
4. आनंदीबेन पटेल, *गुर्जर जाति का सामाजिक और राजनीतिक इतिहास*, पृष्ठ 102-120
5. कमल सिंह, *भारतीय जनजातियों का संघर्ष और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट*, पृष्ठ 67-82
6. कुमारी लक्ष्मी, *स्वतंत्रता संग्राम में गुर्जर समुदाय की भूमिका*, पृष्ठ 118-135
7. जया देवी, *आधुनिक भारत में जातीय संघर्ष और उनका समाधान*, पृष्ठ 103-115
8. देवेंद्र सिंह, *गुर्जर समाज का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य*, पृष्ठ 90-105
9. निखिल अग्रवाल, *क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और भारतीय जनजातियों पर प्रभाव*, पृष्ठ 98-110
10. प्रदीप मिश्रा, *ब्रिटिश शासन और भारतीय जनजातियाँ*, पृष्ठ 50-60
11. मोहन सिंह, *आधुनिक भारतीय समाज में गुर्जर जाति का स्थान*, पृष्ठ 82-95
12. रघु नाथ, *भारत में सामाजिक न्याय और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट*, पृष्ठ 88-110
13. राम कुमार, *ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज पर प्रभाव*, पृष्ठ 75-85
14. राहुल शर्मा, *ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय समाज*, पृष्ठ 78-92
15. रेखा चौधरी, *ब्रिटिश क़ानून और भारतीय राजनीति*, पृष्ठ 153-170
16. विजय कुमार, *भारत में जातिवाद और राजनीति*, पृष्ठ 150-165
17. विजय यादव, *क्रिमिनल ट्राइब एक्ट और भारतीय समाज का ऐतिहासिक अध्ययन*, पृष्ठ 143-160
18. शंकर कुमार, *भारत में जनजातियों का इतिहास और राजनीतिक संघर्ष*, पृष्ठ 45-67
19. श्याम सुंदर, *गुर्जर समाज: एक ऐतिहासिक विश्लेषण*, पृष्ठ 35-50
20. सुधीर कुमार, *भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गुर्जर जाति का योगदान*, पृष्ठ 120-140